7. **राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी0 एड0) एवं राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में नामांकन शुल्क :**

नामांकन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के यहाँ जमा किए जाएगे। इसके साथ 100 रु0 (एक सौ रुपए) सामान्य कोटि के अभ्यार्थियों के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 30 (तीस रुपए) का शुल्क देय होगा। यह शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ संबंधित शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थानीय प्रधान शाखा में भुगतेय होगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बायें कोने पर आवेदक का नाम अंकित होगा। आवेदन पत्र एवं प्रशिक्षण नियमावली समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित किया तथा भरा हुआ आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ संयोजक के

यहाँ निर्धारित तिथि तक जमा होगा। नामांकन के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से 3,000 (तीन हजार रूपये) तथा अ0 जाति/अ0 जन जाति के उम्मीदवारों से 1,000 (एक हजार) लिया जाएगा। इसी तरह परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारो से पुनः 1,500 (एक हजार पॉच सौ रूपये) लिए जाएगें एवं एस टी/एस सी के उम्मीदवारो से 500 (पॉच सौ रूपये) लिये जाएगें।

इसके अतिरिक्त सभी कोटि के नामांकित उम्मीदवारों से प्रतिमाह निम्नांकित शुल्क लिए जाएगे।

(क) छात्र कोष --

	(i) क्रीड़ा	-	100.00 (प्रति माह)
	(ii) कामन रूम	-	100.00 (प्रति माह)
	(iii) विधुत प्रभार एवं अन्य व्यय	-	100.00 (प्रति माह)
(ख)	शिक्षण शुल्क	-	200.00 (प्रति माह)
	कुल	—	**500.00** (पॉच सौ रूपये)
(ग)	महाविद्यालय विकास कोष	-	1,000.00 (प्रशिक्षण अवधि में एक बार)

नामांकित उम्मीदवारो से प्राप्त राशि संबंधित महाविद्यालयों/डायट के प्राचार्य/प्राचार्या के पदनाम से बैंक खाते में जमा रहेगी तथा जिन मदों के लिए राशि ली जा रही है उसी मद में व्यय नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जायेगा। विकास कोष एवं छात्र कोष की राशि के व्यय के लिए महाविद्यालय में एक प्रबन्ध समिति निम्न रूपेण गठित होगी --

प्राचार्य/प्राचार्या	अध्यक्ष
संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य
वरीयतम व्याख्याता	सदस्य
प्रशिक्षणार्थी प्रतिनिधि	सदस्य

प्रवेश शुल्क एवं मासिक शिक्षण शुल्क की राशि चलान द्वारा 2202 सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत कोषागार में प्राचार्य के द्वारा प्रतिमाह जमा की जाएगी।

सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एन0 सी0 टी0 ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क का निर्धारण का कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के निजी तकनीकी संस्थानों में विज्ञान